



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, रविवार, 20 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 29, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2525/9-1-2020-56 टी0ए0-15

लखनऊ, 20 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-510

चूँकि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की अपेक्षानुसार नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत चोपन, जिला सोनभद्र के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में जनसामान्य से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से अधिसूचना संख्या 2791/9-1-2019-56टी0ए0-15, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 जारी की गयी थी और तद्दिनांक को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और, चूँकि, कोई आपत्ति या सुझाव निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 595-टी/33-31-एन-60, दिनांक 20 फरवरी, 1962 और इस निमित्त जारी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल संविधान के भाग 9-'क' के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत चोपन, जिला सोनभद्र के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित करती हैं।

अनुसूची

नगर पंचायत चोपन, जिला सोनभद्र के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र

क्र० सं०	ग्राम का नाम	दिशा	प्रस्तावित गाटा संख्या
1	कुशवाहा बस्ती	पूर्व	316 से 412 तक
			565 से 671 तक
2	यादव बस्ती	पूर्व	723 से 790 तक
			826 से 837 तक
			1104 से 1117 तक
			1120 से 1181 तक
			1193 से 1266 तक
3	गड़ईडीह दक्षिण टोला	दक्षिण	1384 से 1424 तक
			1471 से 1480 तक
			1482 से 1485 तक

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2525/IX-1-2020-56T.A.-15, dated December 20, 2020:

No. 2525/IX-1-2020-56T.A.-15

Dated Lucknow, December 20, 2020

WHEREAS notification no. 2791/IX-1-2019-56T.A.-15, dated December 31, 2019 was issued and published in the *Gazette* on the same date with a view to inviting objections and suggestions from general public with respect to the inclusion of the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Chopan in district Sonbhadra as required by section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916);

AND, WHEREAS, no objection or suggestion has been received within the stipulated time;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916), and in partial modification of notification no. 595-T/33-31-N-60, dated February 20, 1962 and other previous notifications issued in this behalf, the Governor is pleased to include the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Chopan in district Sonbhadra, for the purposes of Part IX-A of the Constitution.

SCHEDULE

Area being included in the transitional area of Nagar Panchayat Chopan in district Sonbhadra

Sl. No.	Name of Villages	Direction	Detail of Gata No.
1	Kushwaha Basti	East	316 to 412
			565 to 671

Sl. No.	Name of Villages	Direction	Detail of Gata No.
2	Yadav Basti	East	723 to 790
			826 to 837
			1104 to 1117
			1120 to 1181
			1193 to 1266
3	Gadaidih South Tola	South	1384 to 1424
			1471 to 1480
			1482 to 1485

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.